दिनांक–07.01.15 को सचिव के कार्यालय कक्ष में श्री रूपेश, परामर्शी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, आयुक्त के राज्य सलाहकार एवं अन्य के साथ हुए बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः–यथा पंजी के अनुसार।

विभागीय सचिव द्वारा सभी आगन्तुकों का स्वागत करते हुए विभाग द्वारा संचालित शहरी आश्रय स्थल के निर्माण एवं उसके प्रगति की विवरण प्रस्तुत किया गया। श्री रूपेश द्वारा निरीक्षण के दौरान प्राप्त अनुभव को सचिव महोदय को साझा करते हुए बताया गया कि सभी आश्रय स्थल कार्यरत नहीं है। अतः सभी आश्रय स्थल को कार्यरत रखा जाय। तथा कार्यरत सभी आश्रय स्थलों पर सभी बुनियादी सुविधाओं यथा शौचालय, पेयजल, बिजली, बेड, बिछावन, कंबल, लौकर आदि का व्यवस्था कराया जाए तथा आश्रय स्थल में रहने वाले को सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराये जाय।

सचिव द्वारा सभी उपस्थित नगर निकायों के पदाधिकारियों से निकायवार आश्रय स्थल पर किये गये कार्य एवं उपलब्ध कराये गये सभी बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी तथा जहाँ भी कुछ कमी महसूस किया गया उन सभी निकायों में यथा शीघ्र सभी वांछित सुविधाओं को अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

1. नगर आयुक्त, कटिहार द्वारा बतलाया गया कि शहर में 10 दिन पूर्व से ही 50 बेड का आश्रय स्थल कार्यरंत है। तत्काल उसमें 20 बेड लगाया गया है तथा आश्रय स्थल पर सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है यथा पेयजल, शौचालय, कंबल आदि का व्यवस्था किया गया है तथा सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जा रही है।

सचिव द्वारा कटिहार नगर आयुक्त को आश्रय स्थल पर 50 बेड लगाने का निदेश दिया गया तथा NULM योजनान्तर्गत स्वीकृत 50 बेड का एक नया आश्रय स्थल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।

2. नगर आयुक्त, आरा से विमर्श के दौरान बतलाया गया कि दस–दस बेड का दो आश्रय स्थल पूर्व से कार्यरत है। विगत माह में 25 बेड का एक नया आश्रय स्थल का निर्माण किया गया है तथा इस माह के अन्त तक 25 बेड का एक और आश्रय स्थल बनकर तैयार हो जायेगा। सचिव द्वारा नवनिर्मित आश्रय स्थल पर सभी बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराकर आश्रय स्थल को शीघ्र कार्यरत करने का निदेश दिया गया।

3. नगर आयुक्त, बेगुसराय द्वारा बतलाया गया कि 50 बेड का एक तथा 20 बेड का दो आश्रय स्थल कार्यरत है एवं सभी बुनियादी सुविधा मुहैया कराया गया है।

4. नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर द्वारा बतलाया गया कि मुजफ्फरपुर में 9 रैन–बसेरा कार्यरत है। उनके द्वारा बतलाया गया कि आश्रय स्थल पर अतिरिक्त शौचालय एवं रसोई घर बनाने का प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है जिसे शीघ्र अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा।

5. नगर आयुक्त, बिहार शरीफ द्वारा बतलाया गया कि 120 बेड का दो आश्रय स्थल बिहार शरीफ में कार्यरत है। आश्रय स्थल पर बेड एवं कंबल का व्यवस्था किया गया है। एक आश्रय स्थल पर बोरिंग फेल हो गया है नये बोरिंग कराने का व्यवस्था किया जा रहा है।

6. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान द्वारा बतलया गया कि सिवान में दो आश्रय स्थल कार्यरत है। आश्रय स्थल पर बेड एवं अन्य सामग्री की शीघ्र व्यवस्था कर दी जायेगी। सिवान में पाँच नया आश्रय स्थल का निर्माण करया जा रहा है।

7. नगर प्रबंधक, नगर परिषद, बेतिया द्वारा बतलया गया कि बेतिया में एक रैन बसेरा कार्यरत है जिसमें 25–30 लोग रहते है। आश्रय स्थल पर शौचालय, पेयजल एवं जेनरेटर का व्यवस्था की गयी है। यहाँ आश्रय स्थल के लिए भूमि की समस्या है, जिसे चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है।

8. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हाजीपुर द्वारा बतलाया गया कि एक आश्रय स्थल कार्यरत है। जिस पर बेड, बिछावन एवं अन्य बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराया गया है एवं शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। नये आश्रय स्थल के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। सचिव के द्वारा बताया गया कि भूमि संबंधी समस्या के निदान हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी से संपर्क किया जाय।

9. सहायक अभियंता, नगर परिषद, डेहरी द्वारा बतलाया गया कि दो कमरों का एक रैन बसेरा कार्यरत है जिसमें अन्य सुविधा उपलब्ध है। नया आश्रय स्थल बनाने के लिए भूमि उपलब्ध है।.

10. नगर प्रबंधक, नगर परिषद, मोतिहारी द्वारा बतलाया गया कि मोतिहारी में रैन बसेरा नहीं है। सचिव द्वारा NULM योजना में स्वीकृत नया आश्रय स्थल का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।

श्री रूपेश द्वारा बतलाया गया कि आश्रय विहिनो का सर्वेक्षण 2011 के बाद नहीं हुआ है। अतः नगर निकायों में आश्रय विहिनों का सर्वेक्षण कराये जाने की आवश्यकता है। श्री रूपेश द्वारा पटना में ज्यादा आश्रय स्थल कार्यरत कराने का सुझाव दिया गया। उनके द्वारा बतलाया गया कि पटना में मॉडल के रूप में सभी सुविधा युक्त आश्रय स्थल का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने म्यूजियम के पास चीना कोठी में 6 छोटे–छोटे रैन बसेरा को तोड़कर एक बड़ा रैन बसेरा बनाने का सुझाव दिया। उनके द्वारा हड़ताली मोड़ पर कार्यरत रैन बसेरा को भी तोड़कर नया बहुमंजिली भवन बनाकर आश्रय स्थल का निर्माण कराने का सुझाव दिया गया। श्री रूपेश द्वारा महिलाओं के लिए अलग से आश्रय स्थल कार्यरत करने, विकलांग लोगों के लिए आश्रय स्थल पर विशेष व्यवस्था कराने एवं फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों का सर्वेक्षण कराकर उसे समाज कल्याण विभाग द्वारा पुनर्वासित कराने का सुझाव दिया गया। श्री रूपेश द्वारा आश्रय स्थल पर रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य विभाग से Health Card बनवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग से पत्राचार करने का अनुरोध किया गया।

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक के द्वारा पटना में रैन बसेरा में निवास करने वाले लोगों के बीच जागरूकता फैलाने एवं प्रचार–प्रसार पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि लोगों के रैन बसेरा की सुविधा प्रदान किया जाना हमारा प्राथमिक लक्ष्य है परन्तु यह भी देखना आवश्यक है कि लोग रैन बसेरा को अपना स्थायी निवास समझा कर अतिक्रमण की समस्या न पैदा कर दे। उन्होंने इस प्रवृति को नियंत्रित करने हेतु लोगों को जागरूक करने में परामर्शी एवं उनके सहयोगियों से मदद करने का आह्वान किया।

सचिव द्वारा सभी निकायों को एक माह के अन्दर आश्रय विहिनों का सर्वेक्षण करके सूची प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। सचिव द्वारा पटना में महिलाओं के लिए अलग से आश्रय स्थल कार्यरत करने, विकलांग लोगों के लिए आश्रय स्थल पर स्लोप बनवाने, सभी आश्रय स्थलों पर सभी बुनियादी सुविधाओं यथा पेयजल, शौचालय, बिजली, बेड, बिछावन, कंबल, लौकर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। उन्होंने आश्रय स्थलों पर सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर भी विचार करने का निदेश दिया।

सचिव द्वारा आश्रय स्थल के संचालन एवं रख–रखाव के लिए सभी नगर निकायों को NULM योजना से राशि उपलब्ध कराने एवं राज्य में 60 नये आश्रय स्थल के निर्माण की स्वीकृति दे दिये जाने की जानकारी दिया गया तथा सभी संबंधित नगर निकायों को स्वीकृत आश्रय स्थल का निर्माण कार्य शीघ्र पुरा कराने का निदेश दिया गया।

सचिव द्वारा निदेश दिया गया हैं कि वरीय पदाधिकारी नगर निकायों के भ्रमण के दौरान आश्रय स्थल का भी निरीक्षण किया करें। सचिव महोदय द्वारा कार्यरत आश्रय स्थलों का Photo, e-mail के माध्यम से विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

ज्ञापांक– 04/NULM-SUH-01/2015 348 (नवि) न0विएवंआ0वि0, पटना, दिनांक– 12-1-15
प्रतिलिपिः–संबंधित सभी पदाधिकारी/संबंधित सभी नगर निकाय/श्री रूपेश, राज्य सलाहकार, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, आयुक्त/विभागीय सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.1.2015

(बी राजेन्दर)
सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।